

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर..... ए.सी.एस.

(शिविर स्थान..... बिसलवा)

आदेश

दिनांक.....

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी..... बिसलवा

...व भू.अ.नि. सीरपा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ए.सी.एस.

नायब तहसीलदार..... सुल्तान की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम..... कराना तहसील..... ए.सी.एस. व

जिला..... झोप की जमाबन्दी सम्वत्..... २०२-१९ में खाता संख्या..... ६९

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|--------------|-------------|---|---|
| 1 | <u>कराना</u> | <u>६९</u> | <u>केसर पुत्री राम ५ सा ५ सम ५ सा</u> | <u>किसाई केसर पु राम ५ सा ५ सम ५ सा</u> |

ए.सी.एस.
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार..... ए.सी.एस. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री..... बिसलवा को सूचना दी।
3. रक्षित पत्रावली

ए.सी.एस.
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर